न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 183 / 2013

उनवान

1. रमेश आत्मज रामगोपाल कोली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. सम्पत कुमार पुत्र रामगोपाल कोली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. बाबू लाल पुत्र रामगोपाल कोली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. नन्दलाल पुत्र रामगोपाल कोली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. श्रीमती सोहन देवी पत्नी रामगोपाल कोली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6. श्रीमती पुष्पा पुत्री रामगोपाल कोली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
7. सुमित्रा पुत्री रामगोपाल कोली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
8. कविता पुत्री रामगोपाल कोली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
9. पप्पूडी पुत्री रामगोपाल कोली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण / विपक्षीगण

बनाम

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी रामविलास हजूरी निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के
प्रकरण संख्या 144/2012 निर्णय दिनांक 17.6.2013

अभिभाषक : 1. श्री आर सी सारस्वत ,अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 29.6.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शाहपुरा की आराजी खसरा नम्बर 6614 रकबा 0.56 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 7830 रकबा 0.70 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 8107 रकबा 0.81 हैक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 2.07 हेक्टेयर में से आराजी नम्बर 7830 रकबा 0.70 हेक्टेयर प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। जिसमें से कुछ हिस्सा पूर्वी दिशा वाला प्रतिवादी संख्या 10 से 18 को छोटे–छोटे टुकडों में 0.25 हेक्टेयर का बेचान कर दिया है। बाकी भूमि पर प्रार्थीया का कब्जाकाश्त निर्बाध व निरन्तर चला आ रहा है। बिकाव के बाद शेष बचे रकबे 0.45 हेक्टैयर के चारों ओर सुरक्षा हेतु थोहर की बाड लगा रखी है। विपक्षीगण प्रार्थीया की आराजी नम्बर 7830 के पश्चिम की ओर आराजी नम्बर 7831 के स्वामी हैं व प्रार्थीया की आराजी नम्बर 7830 से बेदखल करने पर आमादा हैं। अतः मूल अपी के निस्तारण तक विपक्षीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि आराजी नम्बर 7830 में शेष रकबे 0.45 हैक्टेयर में प्रर्थीया कें उपयोग एवं कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से बाधा उत्पन्न करें।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीया के दोनों ही प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 7831 पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जबरन कब्जा कर अपनी आराजी में मिलाना चाहती है । इस पर पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिस वक्त पत्थरगढी का मौका पर्चा दिनांक 9.1.22012 को बनाया गया उस में अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 7831 के 52 मीटर चौडाई के भू भाग पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का कब्जा पाया गया था। जिस पर अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत दावा विचाराधीन है। पत्थरगढी में प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाजायज कब्जा पाया गया है । अपीलाण्ट का कोई नाजायज कब्जा नहीं पाया गया है । उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट की भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थीया का कब्जा पाया गया था। जिस पर अपीलाण्ट ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है एवं 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। अपीलाण्ट ने प्रत्यर्थीगण को परेशान करने की गरज से अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी पत्थरगढी की पर्चा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मौका रिपोर्ट के तथ्यों को नजरंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता का निवेदन है कि मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर निर्णय होना शेष है। हाल आराजी नम्बर 7767 का रकबा राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज हो गया है। हाल आराजी नम्बर 7767 का वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 0.93 हेक्टर दर्ज किया गया है जबकि उक्त आराजी का साबिक रकबा 0.55 हेक्टर यानि 2 बीघा 4 बिस्वा ही दर्ज था। इस संबंध में विचारण होना शेष है। प्रत्यर्थीया का का कब्जा उसकी खातेदारी की भूमि पर ही है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने किसी भूमि पर जबरन कब्जा नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । आराजी नम्बर 7830 रकबा 0.70 हेक्टेयर प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। जिसमें से कुछ हिस्सा पूर्वी दिशा वाला प्रतिवादी संख्या 10 से 18 को छोटे–छोटे टुकडों में 0.25 हेक्टेयर का बेचान कर दिया है। बाकी भूमि पर प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया का कब्जाकाश्त निर्बाध व निरन्तर चला आ रहा है। बिकाव के बाद शेष बचे रकबे 0.45 हेक्टैयर जिस पर उसके पडौस की आराजी नम्बर 7831 के खातेदार काश्तकार जो कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण है। जो दखल करते हैं । जबकि इसके विपरीत अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 7831 पर प्रत्यर्थीया का कब्जा पाया गया है। चूंकि मूल वाद में उभयपक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद पक्षकारों के हक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हितो का अंतिम तौर पर निस्तारण होना शेष है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के विचारण तक अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी नम्बर 7830 का बिकाव के बाद शेष रकबा 0.45 हेक्टेयर में दखल नही करने हेतु प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को पाबन्द किया गया है। वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार हस्तक्षेप करना उचित नही समझते हैं।

7. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.6.2013 को यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 29.6.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

29/6/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा